

Serial no.	Date of order or proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	13.05.2016	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>यह वाद रामरूप यादव पिता-सुकर यादव एवं अन्य ग्राम-खड़गपुर थाना-चन्द्रदीप जिला-जमुई द्वारा लाया गया जिसे अंगीकृत करने के बिन्दु पर सुना गया एवं अंगीकृत किया गया। यह अपील वाद रामरूप यादव एवं अन्य ने निम्न न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के जमाबंदी सुधार वाद सं०-२६/११-१२ भुनेश्वर यादव बनाम उपेन्द्र यादव में दिनांक २५.०६.२०१२ को पारित आदेश के विरुद्ध लाया है।</p> <p>अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-खड़गपुर के खाता सं०-२१ ५३, ६१ एवं ५४ कुल रकवा-३.११ एकड़ जमीन खतियान में अपीलार्थी के पूर्वज रेवा गोप वगैरह के नाम से दर्ज था तथा जमाबंदी सं०-३४ अपीलार्थी के पूर्वजों के नाम से कायम थी और आज भी कायम है। इस जमीन का कभी नीलामी नहीं हुआ था। इस जमीन पर अपीलार्थी के पूर्वजों का दखल कब्जा था और उनकी मृत्यु के बाद अपीलार्थीगण का दखल कब्जा है। अपीलार्थीगण के पूर्वजों ने खाता सं०-२१ खेसरा सं०-४६८ का १३ डी० जमीन निबंधित केवाला के द्वारा जागेश्वर गोप को दिनांक २४.०४.१९६१ को बेच दिया और बिकी के बाद जागेश्वर गोप के नाम से दाखिल खारिज के उपरांत जमाबंदी सं०-१०४ कायम किया गया और मालगुजारी रसीद निर्गत किया गया। शेष जमीन जमाबंदी सं०-३४ में कायम है जो रेवा गोप वगैरह के नाम से है। खाता सं०-५३ के खेसरा सं०-४३७ रकवा-११ डी० जमीन पर अपीलार्थीगण का मकान बना हुआ है जिसमें अपीलार्थीगण परिवार के साथ निवास करते हैं। विपक्षी का यह कहना गलत है कि मौजा-खड़गपुर के खाता सं०-२१, ५३, ६१ एवं ५४ कुल रकवा-३.११ एकड़ जमीन को विपक्षी के पिता गुलाब महतो पे०-स्व० पुनाय महतो ने सन् १९५६ में मनी इजराय वाद सं०-२३४/५३ में मुंसिफ न्यायालय, जमुई के आदेश से नीलामी से खरीदा था। विपक्षी का यह भी कहना गलत है कि अपीलार्थीगण ने दखल दिलाने के लिए अंचल अधिकारी, ई० अलीगंज के पास आवेदन समर्पित किया था। अपीलार्थीगण द्वारा कोई आवेदन अंचल अधिकारी के पास दखल दिलाने के लिए नहीं दिया गया था और न वाद सं०-०३/०७-०८ दायर किया गया था। विपक्षी के</p>	

द्वारा जाली दस्तावेज के आधार पर अपीलार्थीगण के जमीन पर दावा किया गया है। विपक्षी द्वारा उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के न्यायालय में जमाबंदी सुधार वाद सं०-26/11-12 दायर किया गया था जिसमें उपस्थित होने के बाद अपीलार्थी को भूमि विवाद वाद सं०-30/11-12 का नोटिस प्राप्त हुआ जिसमें भुनेश्वर यादव ने 3.11 एकड़ जमीन के स्थान पर 2.81 एकड़ जमीन का दावा किया। एक ही जमीन से संबंधित दो अलग-अलग मुकदमा चलने का कोई प्रावधान नहीं है, परन्तु उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई ने दोनों मुकदमा को चलाया और दोनों मुकदमा में दिनांक 25.06.12 को एक ही आदेश पारित किया गया जो गलत है। अपीलार्थी की जमीन की जमाबंदी विपक्षी के नाम कब और कैसे कायम हो गया इसे साबित करने का उत्तरदायित्व विपक्षी का है। विपक्षी का कहना है कि उन्होंने इस जमीन को नीलामी से खरीदा, परन्तु विपक्षी के द्वारा इसे नीलामी से कैसे खरीदा इस संबंध में कोई दस्तावेज/साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है और न तकरारी जमीन से संबंधित दखल देहानी का कागजात ही दाखिल किया गया है। अतः जमाबंदी सुधार वाद सं०-26/11-12 में उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई का आदेश दिनांक 25.06.2012 गलत है, इसे निरस्त किया जाय।

2. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह वाद चलने लायक नहीं है। विपक्षी के पिता स्व० गुलाब महतो पे०-स्व० पुनाय महतो ने सन् 1956 में मनी इजराय वाद सं०-234/53 में मुंसिफ न्यायालय, जमुई के आदेश से नीलामी की प्रक्रिया के अंतर्गत अधिकतम बोली लगाकर डाक में मौजा-खड़गपुर के खाता नं०-21 के खेसरा नं०-424 रकवा-08डी०, खेसरा नं०-432 रकवा-08डी०, खेसरा नं०-468 रकवा-26डी०, खाता नं०-53 के खेसरा नं०-162 रकवा-08डी०, खेसरा नं०-437 रकवा-11डी०, खेसरा नं०-447 रकवा-10डी०, खेसरा नं०-629 रकवा-26डी०, खेसरा नं०-738 रकवा-30 डी०, खेसरा नं०-871 रकवा-18डी०, खाता नं०-61 के खेसरा नं०-163 रकवा-04डी०, खेसरा नं०-436 रकवा-11डी०, खेसरा नं०-455 रकवा-23डी०, खेसरा नं०-628 रकवा-10डी०, खेसरा नं०-864 रकवा-09डी०, खेसरा नं०-872 रकवा-14डी०, खेसरा नं०-737 रकवा-15डी०, खाता नं०-54 के खेसरा नं०-460 रकवा-05डी०, खेसरा नं०-586 रकवा-70डी० एवं खाता नं०-62 के खेसरा नं०-461 रकवा-05डी० कुल रकवा-3.11 एकड़ जमीन खरीदा। खरीदने के बाद स्व० गुलाब महतो के नाम से दाखिल खारिज वाद सं०-225/1960-61 के द्वारा जमाबंदी सं०-34 कायम किया गया और लगान रसीद निर्गत किया गया। कालान्तर में इस 3.11 एकड़ जमीन को स्व० गुलाब महतो के अन्य दूसरी जमीन के साथ मिलाकर कुल 5.22 एकड़ जमीन की जमाबंदी सं०-24 स्व० गुलाब महतो के नाम से कायम किया गया। वर्ष 2009 में इस 3.11 एकड़ जमीन की मालगुजारी रसीद गलत ढंग से हल्का कर्मचारी ने अपीलार्थी के पूर्वज स्व० रेवा गोप पे०-स्व० नेमचन्द्र गोप व स्व० सुकर गोप पे०-स्व० आलम गोप और स्व० शनिचर गोप पे०-स्व० दाहु गोप के नाम

से घोखाघड़ी करके पूर्व की जमाबंदी सं०-34 को आधार बनाकर निर्गत कर दिया गया, जो गलत है, क्योंकि उक्त जमाबंदी सं०-34 की सारी जमीन को स्व० गुलाब महतों के अन्य दूसरी जमीन के साथ मिलाकर कुल 5.22 एकड़ जमीन की नई जमाबंदी सं०-24 स्व० गुलाब महतों के नाम से कायम कर दिया गया था। इस प्रकार 1961 के बाद जमाबंदी सं०-34 में जमीन नहीं बची परन्तु हल्का कर्मचारी ने बिना जमाबंदी सं०-24 से जमीन घटाये अपीलार्थी के पूर्वज स्व० रेवा गोप, स्व० सुकर गोप एवं स्व० शनिचर गोप के नाम से लगान रसीद निर्गत कर दिया गया, जो गलत है। 1961 से 2009 तक स्व० रेवा गोप, स्व० सुकर गोप एवं स्व० शनिचर गोप के नाम से कोई लगान रसीद नहीं कट रही थी। हल्का कर्मचारी के द्वारा बिना किसी वरीय पदाधिकारी के आदेश के गलत ढंग से अपीलार्थी के पूर्वज स्व० रेवा गोप, स्व० सुकर गोप एवं स्व० शनिचर गोप के नाम से जमाबंदी सं०-34 को जीवित करते हुए विवादित भूमि का लगान रसीद निर्गत कर दिया गया। अपीलार्थी का दावा कि इस जमीन का खतियान उनके पूर्वज रेवा गोप, सुकर गोप एवं शनिचर गोप के नाम से है का कोई विधिक आधार नहीं रखता है क्योंकि खतियान का निर्माण 1905 में हुआ था जबकि विपक्षी के पिता स्व० गुलाब यादव ने मुंसिफ न्यायालय, जमुई के आदेश से 1956 में जमीन नीलामी के द्वारा कय किया था। 1956 में या 1956 के बाद कोई सर्वे नहीं हुआ है और न ही किसी जमीन का खतियान बनाया गया है। अतएव वर्षों पूर्व बने खतियान में अपीलार्थी के पूर्वजों का नाम रहना लाजिमी है किन्तु सिर्फ इसी आधार पर प्रश्नगत जमीन पर अपीलार्थियों का हक हकीयत आज भी है यह कतई नहीं माना जा सकता है। नीलामी प्रक्रिया से प्रश्नगत जमीन को खरीदने के बाद विपक्षी के पिता स्व० गुलाब महतों का शांतिपूर्ण दखल कब्जा दखल देहानी के आधार पर हस्तांतरित होकर कायम हुआ और विपक्षी के पिता की मृत्यु के बाद विपक्षी का लगातार दखल-कब्जा कायम है। अपीलार्थी के पूर्वजों या अपीलार्थियों ने कभी भी मनी इजराय वाद सं०-234/53 के आदेश के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील दायर नहीं किया और न दाखिल खारिज वाद सं०-225/1960-11 में पारित आदेश के विरुद्ध ही कोई अपील दायर किया गया। 1960-61 के बाद से अपीलार्थी ने लगान भुगतान कर रसीद प्राप्त नहीं किया और लगभग 55 वर्षों से लगातार बेदखल हैं और इतने लम्बे समय 30 वर्षों से ज्यादा समय से बेदखल रहने के कारण अपीलार्थी का वाद भूमि पर हक हकीयत (स्वत्व) स्वतः ही समाप्त हो गया है। अपीलार्थी का यह कहना कि एक ही न्यायालय में एक जमीन का दो मुकदमा नहीं चल सकता है सर्वथा गलत है, क्योंकि उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई के न्यायालय में एक ही जमीन का एक ही तरह का दो मुकदमा नहीं था, बल्कि दो अलग-अलग विषयों पर अलग-अलग वाद संख्या के आधार पर वाद चल रहा था जिसमें एक वाद जमाबंदी सुधार वाद सं०-26/11-12 भुवनेश्वर प्रसाद बनाम उपेन्द्र यादव एवं अन्य था तथा दूसरा वाद जमीन पर से जबरन बेदखल किये जाने के एवज में भूमि विवाद निराकर अधिनियम, 2009

के तहत वाद सं०-30/11-12 भुनेश्वर प्रसाद बनाम रामरूप यादव एवं अन्य के बीच चल रहा था जो किसी भी नियम एवं विधि के विरुद्ध नहीं है। जमाबंदी सुधार वाद सं०-26/11-12 में उप समाहर्ता भूमि सुधार, जमुई का आदेश विधि-सम्मत है। अपीलार्थी के द्वारा विवादित जमीन से संबंधित एक दीवानी वाद सं०-105/12 लाखो यादव एवं अन्य बनाम भुनेश्वर प्रसाद सब जज प्रथम, जमुई के न्यायालय में दायर किया गया है जिसके बाद इस अपील वाद का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः इस वाद को खारिज किया जाय।

3. अपीलार्थी ने अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित कागजात दाखिल किये:-

1. Holding No.-34 के पंजी-II की छायाप्रति,
2. मालगुजारी रसीद सं०-437565, 012226, 625010, 432579 की छायाप्रति,
3. रेवा महतों के द्वारा जागेश्वर महतों को किये गये केवाला दिनांक 24.04.1961 की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति।
4. Register Book No.-1, 3 or 4 पेज नं०-414, 415, 416 के नकल की छायाप्रति,
5. न्यायालय श्री डी० मिश्रा, न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी, जमुई के वाद सं०- $\frac{126 C/1981}{T.R.1721/87}$ के आदेश पत्रक दिनांक 25.08.87 के नकल की छायाप्रति,
6. न्यायालय श्री बी०के० सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जमुई के वाद सं०-1371 c/08 के आदेश पत्रक दिनांक 24.09.13 के नकल की छायाप्रति,
7. न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जमुई के वाद सं०-1371 c/08 के परिवाद पत्र के नकल की छायाप्रति।

4. विपक्षी ने अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित कागजात दाखिल किये:-

1. Proclamation of Sale की छायाप्रति,
2. Sale of Execution की छायाप्रति,
3. Certificate of Sale of land की छायाप्रति,
4. मालगुजारी रसीद सं०-230681, 888098, 7776917 की छायाप्रति,
5. न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, जमुई के वाद सं०-82/M 81 धारा-144 द०प्र०सं० के आदेश फलक दिनांक 28.04.81 के नकल की छायाप्रति,
6. अंचल कार्यालय, ई० अलीगंज के वाद सं०-3/07-08 के अभिलेख के नकल की छायाप्रति,
7. न्यायालय सब जज प्रथम, जमुई के T.S No.-105/12 के सम्मन बावत तर्करूरईशू की प्रति,
8. न्यायालय सब जज प्रथम, जमुई के दीवानी वाद सं०-105/12 में वादीगण की ओर से समर्पित अर्जी की प्रति।

5. इस जमाबंदी सुधार अपील का आधार अपीलार्थियों ने यह दिया है कि C.P.C. के ऑर्डर-2 रूल-2 के अनुसार एक ही जमीन पर दो भिन्न वाद चलाना नियमसंगत नहीं है लेकिन निम्न न्यायालय ने अपने समक्ष दो अलग-अलग वाद चलाये और आदेश पारित किया जो कि नियम विरुद्ध है। उनका आधार यह भी है कि निम्न न्यायालय का आदेश तथ्यों एवं विधि के विरुद्ध है और प्रत्युत्तर वादी द्वारा नीलाम में भूमि प्राप्त होने संबंधी कोई कागज दाखिल नहीं होने के बावजूद कर्मचारी और अंचल निरीक्षक के गलत प्रतिवेदन के आधार पर निम्न न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। निम्न न्यायालय के जमाबंदी सुधार वाद सं0-26/11-12 एवं भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के वाद सं0-30/11-12 में पारित निर्णयों की प्रति का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय ने अपने भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद सं0-30/11-12 में पारित अंतिम आदेश को ही जमाबंदी सुधार वाद सं0-26/11-12 पर भी लागू किया है। उपरोक्त आदेश के माध्यम से निम्न न्यायालय ने जमाबंदी सं0-34 से अपीलार्थीगण के दादा स्व0 रेवा गोप, स्व0 सुकर गोप एवं शनिचर गोप के नाम को विलोपित किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त आदेश के माध्यम से उनकी जमाबंदी रद्द की गई है जो निम्न न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

प्रत्युत्तर वादी ने अपने जवाब में यह भी अंकित किया है कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित एक दीवानी वाद सब जज प्रथम, जमुई के न्यायालय में चल रहा है जिसका नं0-T.S.No.-105/2012 है जिसमें श्री भुनेश्वर यादव प्रतिवादी हैं। प्रमाण स्वरूप उन्होंने दीवानी वाद सं0-105/2012 में निर्गत नोटिस की प्रति दाखिल की है। अपीलार्थी ने भी इस कथन को इनकार नहीं किया है साथ ही प्रत्युत्तर वादी द्वारा दाखिल कागजात से स्पष्ट होता है कि उक्त दीवानी वाद की विषय वस्तु इस अपील की विषय वस्तु ही है।

अतः जब इस अपील के अपीलार्थीगण स्वयं ही सक्षम न्यायालय में Title Suit ला चुके हैं तो उसी भूमि पर राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णय देना उचित नहीं होगा। इस अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए अपीलार्थी को आदेश दिया जाता है कि वे दीवानी वाद में उचित पैरवी करें एवं दीवानी वाद का निर्णय आने के उपरांत ही राजस्व न्यायालय में दाखिल खारिज कराने या जमाबंदी कायम कराने हेतु आवेदन करें।

आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें। L.C.R. निम्न न्यायालय को वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित

13/5/16
समाहर्ता,
जमुई।

13/5/16
समाहर्ता,
जमुई।

